## <u>न्यायालयः</u>— साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी <u>जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण क.—282 / 12</u> संस्थापित दिनांक—23.07.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-
आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
1— खेत सिह पुत्र निरपत लोधी उम्र 55 साल
2— बाल किशन पुत्र निरपत लोधी उम्र 40 साल
3— खलक सिह पुत्र निरपत लोधी उम्र 35 साल
4— सीताराम पुत्र खेतसिह लोधी उम्र 32 साल
5— हरनाम सिंह पुत्र खेतसिह लोधी उम्र 28 साल
निवासीगण— ग्राम बुढावली तहसील चंदेरी
जिला—अशोकनगर म0प्र0
आरोपीगण
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा :– श्री आई.के.पठान अधिवक्ता।

## -:::: <u>निर्णय</u> ::::-

## (आज दिनांक 31.01.2017 को घोषित)

01— आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 294, 323/149, 324/149 506 भाग दो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 07.07.2012 को समय शाम 6 बजे फरियादी के खेत ग्राम बुडहावली मौजा में घासीराम का रास्ता रोककर उसे गंतव्य दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य उद्देश्य का गठन कर उसके अग्रसरण में घासीराम एवं शांतिबाई को लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा सामान्य उद्देश्य का गठन कर उसके अग्रसरण में किसी धारदार वस्तु से नंदकुंबरबाई के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 31.01.2017 को फरियादी, आहतगण एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपीगण खेत सिंह, बाल किशन, खलक सिंह सीताराम, हरनाम को भा.द.वि की धारा 341, 294, 323/149

दोबार, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी घासीराम ने अपनी पत्नी शांतिबाई बहु नन्दक्अर बाई के घायल अवस्था में उपस्थित होकर थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम पचलाना में रहता है और उसकी जमीन बुडावली मौजे में है। दिनांक 07.07.2012 को शाम करीब 7 बजे उसकी जमीन को खलक सिह व सीताराम जुताई कर रहे थे। फरियादी ने जाकर कहा कि उसकी जमीन क्यों जोत रहे हो, तो दोनो वाले कि तूने इस जमीन को क्यो खरीदा है। इसी बात पर आरोपीगण मां बहन की अश्लील गालियां देने लगे। गालियों की आवाज सुनकर हरनाम तथा किशन आ गये, दोनो के हाथ में लाठी लोहांगी लिये थे और फरियादी में एक लाठी हरनाम ने मारी जो उसके हाथ की हथली व अंगुली में लगी, मुंदी चोट आई। किशन ने उसके एक लाठी मारी सिर में लगी मूंदी चोट आई। बांये तरफ सिर में मुंदी चोट आई। कंधे में दोनो तरफ दोनो हाथो की भुजा में कमर में मुंदी चोटे आई। फरियादी की पत्नी शांति बचाने आई तो दांहिने पैर की जांघ में सीताराम ने लाठी मारी मुंदी चोट आई। घटना के समय चन्दन सिह तथा बृजेश ने आकर बीच बचाव किया तो चारो करने लगे कि आज तो बच गया आइन्दा खेत पर आया तो जान से खत्म कर देगे। जब फरियादी थाने आने लगा तो आरोपीगण ने उसका रास्ता रोकलिया, फिर सब लोग घर चले गये तो खेत सिह लाठी लेर आया और मां बहन की अश्लील गालियां देकर बोला की अभी कम मारा है और मारना है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना चंदेरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये।आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- 04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

## 05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 07.07.2012 को समय शाम 6 बजे फरियादी के खेत ग्राम बुडहावली मौजा में सामान्य उद्देश्य का गठन कर उसके अग्रसरण में किसी धारदार वस्तु से नन्दकुंअर बाई के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

#### //3//दाण्डिक प्रकरण कमांक-282/12

### : : सकारण निष्कर्ष : :

- 06— अभियुक्तगण के विरुद्व आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में फरियादी घासीराम अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह समस्त आरोपीगण को जानता है। घटना करीब 4—5 साल पहले की होकर शाम 6—7 बजे की है। घटना दिनांक को उसकी जमीन को खलक सिह व सीताराम जोत रहे थे उसने खेत पर जाकर इन लोगों से कहा कि उसकी जमीन क्यों जोत रहे हो तो खलक सिह व सीताराम बोले कि तुने इस जमीन को क्यों खरीदा है इसी बात को लेकर खलक सिह व सीताराम गाली गलौच करने लगे, जिसकी आवाज सुनकर आरोपी हरराम लोधी तथा बालकिशन आ गये। घटना स्थल पर उसकी बहू नन्दकुंअर बाई व पत्नी शांतिबाई भी आ गई थी उनके साथ भी आरोपीगण की गाली गलौच एवं कहा सुनी हो गई थी तथा मेरी, नन्दकुंअर बाई, शांतिबाई, की आरोपीगण से धक्का मुक्की हो गई थी।
- 07— घासीराम अ0सा01 ने बताया कि धक्का मुक्की में उसे, नन्दकुंअर बाई, शांतिबाई को चोटे आ गई थी, जिसके संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी. 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी नन्दकुंअरबाई, शांतिबाई की चोटो का मेडीकल कराया था तथा पूछताछ कर बयान लिये थे। उक्त साक्षी ने व्यक्त किया कि इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की।
- 08— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपी हरनाम एवं किशन दोनों के हाथ में लाठी व लोहांगी थी। इस बात से इंकार किया कि एक लाठी हरनाम ने मारी जो उसके हाथ की झिगली में लगी जिससे मुंदी चोट आई थी। इस बात से इंकार किया कि किशन ने एक लाठी मारी जो सिर में लगी। इस बात से इंकार किया कि बहू नन्दकुंअर बाई आई तो उसको सीताराम तथा खलक सिह ने लाठियों से मारा जिससे उसके सिर में चोट आई। इस बात से इंकार किया कि पत्नी शांतिबाई उसे बचाने आई तो सीताराम ने उसे लाठियों से मारा। यह कहना गलत है कि घटना के समय चन्दन सिह व ब्रजेश थे जिन्होंने पूरी घटना देखी है।
- 09— साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 व पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त रिपोर्ट व कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका तथा उसकी बहू नन्दकुंअरबाई एवं पत्नी शांतिबाई का आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण आज आरोपीगण को बचाने के लिये

#### //4//दाण्डिक प्रकरण कमांक-282/12

असत्य कथन कर रहा है।

- 10— शांतिबाई अ०सा०२ एवं नन्दकुंअर बाई अ०सा०३ ने उनके न्यायालयीन कथनो में आरोपीगण को जानने वाली बात बताई किन्तु उक्त दोनो साक्षीगण ने घटना के संबंध में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उन्होंने अभियोजन कहानी का लेस मात्र भी समर्थन नहीं किया तथा साक्षी शांतिबाई अ०सा०२ एवं नन्दकुंअर बाई अ०सा०३ को उनका पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी. 4 एवं प्र.पी. 5 का ए से ए भाग पढकर सुनाये व समझाये जाने पर उक्त साक्षीगण ने पुलिस को उक्त कथन न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकती। इस प्रकार अभियोजन साक्षी शांतिबाई अ०सा०२ एवं नन्दकुंअर बाई अ०सा०३ के कथनो से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 11— घासीराम अ०सा०1, शांतिबाई अ०सा०2 एवं नन्दकुंअर बाई अ०सा० 3 जोकि प्रकरण में स्वयं आहत है ने अभियोजन की घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उसके न्यायालयिन कथनों में व्यक्त किया कि आरोपीगण से उनकी कहा सुनी हो गई थी, एवं धक्का मुक्की में चोटे आना व्यक्त किया। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने थाना चंदेरी में की थी तथा अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा घासीराम, नन्दकुंअर बाई एवं शांतिबाई की लाठी लोहांगी से मारपीट की थी।
- 12— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 07.07.2012 को समय शाम 6 बजे फरियादी के खेत ग्राम बुडहावली मौजा में सामान्य उद्देश्य का गठन कर उसके अग्रसरण में किसी धारदार वस्तु से नन्दकुंअर बाई के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। अतः अभियुक्तगण खेत सिंह, बाल किशन, खलक सिंह सीताराम, हरनाम निवासी ग्राम बुढावली तहसील चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0 को भा.द.वि. की धारा 324 / 149 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 13- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमान विद्यमान नहीं है।
- 14- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

# //5//दाण्डिक प्रकरण कमांक—282/12